न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:–03/2019

प्रार्थी:–

लूम्बाराम पुत्र रणछाराम जाति रबारी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. गोबरराम पुत्र चेलाराम जाति चौधरी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. हिमताराम पुत्र चेलाराम जाति चौधरी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. कपूराराम पुत्र जेराराम जाति चौधरी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर
4. तुलछाराम पुत्र मुलाराम जाति चौधरी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर
5. देवाराम पुत्र विरदाराम जाति चौधरी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर
6. रूपाराम पुत्र विरदाराम जाति चौधरी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर
7. रामाराम पुत्र विरदाराम जाति चौधरी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री बशीर हुसैन शेख अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1
3. श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 7
4. विप्रार्थी संख्या 2 ता 6 अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक:–16.12.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1193/904 रकबा 09.18 बीघा किस्म बा.सोयम सरहद मौजा मेली तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थी के उक्त कब्जा स्वामित्व की भूमि में बदिशा उतर में खसरा संख्या 903 बदिशा पश्चिम में खसरा संख्या 1192/904 बदिशा दक्षिण में कटाण रास्ता, बदिशा पूर्व में खसरा संख्या 1194/903 अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि के अपने खेतों से लगते भू भाग पर विप्रार्थी संख्या 01 ता 7 [illegible] कब्जा करने पर आमादा हैं तथा मौके पर उक्त खसरान [illegible] और न ही मौके पर सही सीमा निर्धारण करने दे रहे है। विप्रार्थी [illegible] ता 7 जोर जबरन क[illegible] में लेकर प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करने [illegible] आमादा हैं तथा प्रार्थी [illegible] विवादित खसरें की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के मध्य हमेशा तनाव रहता है। प्रार्थी के उक्त स्वामित्व कब्जा की भूमि के चारो माठो की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

सीमाओं का सही निर्धारण नहीं होने के कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब की किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री बशीर हुसैन शेख, विप्रार्थी संख्या 7 की ओर से वकील श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया, विप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा कई अवसर लिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से विप्रार्थी संख्या 1 के जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया गया विप्रार्थी संख्या 7 के वकील ने प्रार्थना पत्र के जवाब में बताया है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि बदिशा उतर खसरा संख्या 903 एवं बदिशा पश्चिम में1192/904 व बदिशा दक्षिण में कटाण रास्ता एवं पूर्व में खसरा संख्या 1194/903 जो की राजस्व रेकर्ड यथा नक्शा ट्रेस पेश नहीं किया गया है और न ही उक्त खसरे के खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है व वैकल्पिक तौर से विवादित सभी खसरान की पैमाईश करने हेतु निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्तिम चौसला आधार सवंत् 2070—2073 सरहद मौजा मेली के खेत खसरा नम्बर 1193/904 रकबा 9.18 बीघा भूमि का अवलोकन किया। उक्त भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 903, 1192/904 व खसरा संख्या 1194/903 के खातेदारों को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है तथा पत्रावली के संलग्न नक्शा ट्रेस में भी उक्त खसरो को बतौर पडौसी खातेदार दर्शाया गया है , प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न होने से बचने के लिये अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मेली के खेत खसरा नम्बर 1193/904 रकबा 9.18 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। इस हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/—शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क

प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे।

तहरीर जारी हो।

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested